Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 263/2026 & B.P. 320/2026 Dandkhora P.S. Case No.- 146/2025
Nitish Kumar and Rohit Kumar Jaiswal V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 263/2026
Dandkhora P.S. Case No.- 146/2025

1. नितिश कुमार पिता श्री शिव प्रसाद साह, उ0त0 18 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः– ड्राईवर टोला वार्ड नं0 16, थाना– कटिहार,
जिला– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।..अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्रीमती..रंजिता कुमारी।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B.P.No. 263/2026
Dandkhora P.S. Case No.- 146/2025

2. रोहित कुमार जयसवाल पिता मनोज जयसवाल, उ0त0 20 वर्ष
निवासी सा0 ग्रामः– ड्राईवर टोला , थाना– कटिहार नगर,
जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री...एस0एस0 झा।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 15-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन क्रमशः दिनांक 27.12.2025 एवं 27.02.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 09.03.2026 एवं 24.03.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रंजिता कुमारी तथा श्री एस0एस0 झा द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है। उपरोक्त दोनों नियमित जमानत आवेदन एक ही थाना कांड संबंधित होने के कारण उनपर एकसाथ आदेश पारित किया जा रहा है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका लाडली खातुन द्वारा थानाध्यक्ष डंडखोरा को आवेदन देते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 23.12.2025 को समय करीब 9:00 बजे रात में मेरा पति टोटो गाड़ी चला कर आए और टोटो गाड़ी को दरवाजा पर खड़ा करके चार्ज में लगा दिए और हम लोग खाना खा कर सो गए। जब दिनांक 24.12.2025 को समय करीब 6:00 बजे सुबह में सो कर उठे तो देखे कि मेरा दरवाजा पर टोटो गाड़ी नहीं है। तब मैं अपने पति को उठा कर बोली कि दरवाजा पर टोटो गाड़ी नहीं है। तब हमलोग इधर–उधर खोजने लगे, लेकिन मेरा टोटो गाड़ी नहीं मिला तब मुझे

webcopy civil court katihar

लगा कि अज्ञात चोर सब मेरा टोटो गाड़ी चोरी करके लेकर भाग गया है। मेरा टोटो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नं0 BR 39 ER 5833 है तथा चेचिस नं0 MZTLID00724013122 तथा ईंजन नं0 M601200SN00246020668 है। हमलोग अपना टोटो गाड़ी को काफी खोजबीन किया, लेकिन नहीं मिला। मेरा टोटो गाड़ी को चोर सब चोरी कर लिया है।

3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रंजिता कुमारी एवं श्री एस0एस0झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक नितिश कुमार के विरूद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज है तथा आवेदक रोहित कुमार जयसवाल के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इस वाद में अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा आवेदकगण को सी0सी0टी0 फुटेज में पहचान नहीं किया गया है। आवेदकगण को सह अभियुक्त के स्वीकृत बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदकगण क्रमशः दिनांक 27.12.2025 एवं 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण के पास से कोई भी चोरी का सामग्री बरामद नहीं हुआ है। डंडखोरा पुलिस द्वारा आवेदकगण का कई सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया है। आवेदकगण स्थानीय व्यक्ति हैं तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण पर सूचिका के घर से रात्रि में उसका टोटो चोरी कर लेने का गंभीर प्रकृति का आरोप है, जिसके लिए उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका लाडली खातून के आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध डंडखोरा थाना कांड संख्या 146/2025 दिनांक 25.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 6, 7 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर कांड में चोरी गये टोटो को कटिहार शहर के बैगना ओवरब्रीज के नीचे सर्विस रोड के पास किनारे से आवेदक एवं अन्य के बयान के आधार पर बरामद किया गया है। आवेदक द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में अन्य के साथ मिलकर टोटो को चोरी किये जाने के आरोप को स्वीकार किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 31 में आवेदक नितिश कुमार का स्वीकारोक्ति बयान एवं कंडिका 29 में रोहित कुमार जयसवाल का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज है। कांड दैनिकी के कंडिका 32, 34, 78 और 85 के अनुसार नितिश कुमार के विरूद्ध आर0पी0एफ0 पोस्ट कटिहार ईस्ट कांड संख्या– 01/2024 अन्तर्गत धारा 3(a) RP(UP)Act में दर्ज पाया गया है तथा अभियुक्त रोहित कुमार जयसवाल के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है, अभियुक्त रोहित कुमार को अनुसंधान के क्रम में उसके मामले को किशोर न्याय परिषद भेजा गया था। किशोर न्याय परिषद के आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष सात माह 18 दिन पायी गयी है, जिससे विदित है कि दिनांक 27.12.2025 से दिनांक 26.02.2026 तक आवेदक किशोर न्याय परिषद के अभिरक्षा में रहा है। आवेदक नितिश कुमार दिनांक 27.12.2025 से

webcopyofcivilcourtkatihar

web copy Civil Court, Katihar

न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है तथा आरोप पत्र के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2),317(2),3(5) के अन्तर्गत विद्वान अनुमंडल न्यायिक दघिकारी कटिहार के द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण के कारावास की अवधि को देखते हुए जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक नितिश कुमार एवं रोहित कुमार जयसवाल के द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 09.03. 2026 एवं 24.03.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10000/– रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

I. आवेदकगण के एक जमानतदार उसके माता पिता अथवा परिवार के सदस्य होंगे।

II. आवेदकगण इस आशय का शपथपत्र/ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि भविष्य में इस तरह के मामले में संलिप्त नहीं होंगे। भविष्य में इस तरह के मामले में संलिप्त पाये जाने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

III. आवेदकगण इस आशय का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि मामले के विचारण में सहयोग करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।च

Date of order	15-04-2026
Date of Reserving order	15-04-2026
Date of uploading	15-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)